न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0—56 / 17—18

शेख अमजद बनाम् अबुल हसन वगै0

21.10.2022

## —: आदेश :—

प्रस्तुत वाद आवेदक शेख अमजद, पे0—शे0 बुलाकी मोताफा, सा0—चांदपुर, थाना—मेहरमा, अंचल—ठाकुरगंगटी, जिला—गोड्डा के द्वारा दाखिल आवेदन पर मौजा—चांदपुर नं0—104, जमाबंदी नं0—23, दाग नं0—62 के अंदर रकवा—00—06—12 धूर भूमि से विपक्षीगण अबुल हसन, पे0—ताजल्ली अंसारी, वाकर अंसारी, पे0—अबुल हसन अंसारी, हकीम अंसारी, हफीज अंसारी, दोनों पे0—मजरली अंसारी, सभी सा0—मैनाचक, थाना—मेहरमा, अंचल—ठाकुरगंगटी, जिला—गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा अपने पत्रांक—253 / रा0, दिनांक—18.06.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया तथा उभय पक्ष द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत प्रासंगिक भूमि के जमाबंदी रैयत से विपक्षी को कोई संबंध नहीं रहने के कारण अवैध भूमि हस्तांतरण प्रतीत होता है। अतः विपक्षी को प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् उच्छेद किया जाता है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।

21.10.22
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

21.10.22
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 15:09:18 +05:30
Location: 192.168.8.107

Scanned with OKEN Scanner